Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Need to ensure that the central government offices in foreign countries work according to the annual programmes as prescribed by Rajbhasa Act 1963.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में लागू किया था, जिसके अनुसार इस देश के विभिन्न प्रदेशों को क्षेत्रीय भाषा के आधार पर 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों में बांटकर वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। सभी के लिए राजभाषा में, जो केन्द्रीय कार्यालय हैं, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वह उस काम को करेंगे। ऐसे ही विदेशों में जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं, उनके लिए भी 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनको पत्राचार, टिप्पणी आदि काम करने के साथ-साथ जो उस कार्यालय में, उस देश की भाषा के अनुसार, उस देश की भाषा के साथ-साथ हिन्दी और अंग्रेजी, ऐसी तीन भाषाओं में उनको करना था, लेकिन वास्तव में उन कार्यालयों में यह नहीं हो पा रहा है। वहां लक्ष्य के अनुरूप काम भी नहीं हो पा रहा है और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भी काम नहीं हो रहा है, जब कि राजभाषा ने दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। जो बोली जानी वाली भाषा है, हम यूनियनों में भी उसे आधिकारिक भाषा बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भी राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत जारी वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Sharad Tripathi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.